संख्या–1171/8–4–09–266एन/08

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश ।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

3– उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 26 मई, 2009

विषयः राजस्व वृद्धि के दृष्टिकोण से नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के संबंध में जारी शासनादेश दिनांक 21–10–08 में संशोधन/सरलीकरण किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1956/8–4–08–266एन/08 दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि के समुचित प्रबन्ध और निस्तारण के सम्बन्ध में निर्गत उक्त शासनादेश में की गयी व्यवस्थाओं पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन एवं व्यवस्था लागू किये जाने पर अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त शासनादेश दिनांक 21–10–2008 के प्रस्तर–2 (1) में उल्लिखित दरों के स्थान पर आवासीय के लिए वर्तमान सर्किल रेट का 25 प्रतिशत और अनावासीय के लिए वर्तमान सर्किल रेट का 40 प्रतिशत प्राप्त कर नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड किया जायेगा।

(2) उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2(6) के स्थान पर निम्नलिखित अंश प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"ऐसी नजूल भूमियॉ जो भ–धारक या पट्टाधारक या उनके विधिक उत्तराधिकारी/नामित की भूमि के साथ स्थित है तथा उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं तथा किसी अन्य के उपयोग की सम्भावना नहीं प्रतीत होती है। ऐसी भूमि का विनियमितीकरण भ–धारक या पट्टाधारक या उनके विधिक उत्तराधिकारी/नामित के पक्ष में वर्तमान सर्किल रेट का पचास प्रतिशत प्राप्त कर फ्रीहोल्ड कर दिया जायेगा। ऐसे मामलों में शासन की अनुमति आवश्यक होगी।"

(3) उक्त शासनादेश दिनांक 21.10.08 में दिये गये शेष निर्देश/व्यवस्था यथावत रहेगी।

(4) उक्त शासनादेश दिनांक 21.10.08 की अवधि दिनांक 31.12.09 तक बढ़ायी जाती है।

2— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या—ई—8—1658/दस—2009 दिनांक 25 मई, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव ।

संख्या— 1171 (1)/8—4—0 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
(विष्णु प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या— 1171 (2)/8—4—0 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश
2— समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
3— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—8
4— गोपन अनुभाग—1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या—4/3/11/2009 सी0एक्स (1) दिनांक 15—5—2009 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,
(विष्णु प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव ।